वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा पहुँच मार्ग चौड़ीकरण एवं विद्युत लाईन विस्तार (भूमिगत) निर्माण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के दुर्गूकोंदल परिक्षेत्र के ग्राम हाहलद्दी के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.40 हे.) का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के अभिमत से सहमत होते हुए रकबा 1.396 हे. (1.40 हे.) वन एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 01 /03/2024
स्थान: नवा रायपुर

1/3/24
(व्ही श्रीनिवास राव)
प्र.मु.व.सं एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

2 - Form -4 (Minning) 2024 (1).doc4

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर– 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–308/643 रायपुर, दिनांक 04/03/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु JSW Ispat Special Products Limited द्वारा For laying underground electricity line for supplying electricity and widening of approach road leading to mine हेतु क्षेत्रफल–1.396 हे.(1.40 हे.) पंजीयन बाबत् ।**
पंजीयन क्रमांक FP/CG/TRANS/148650/2021

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/2948 दिनांक 05.09.2023 एवं पत्र क्रमांक 2024/506 दिनांक 15.02.2024

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। आवेदनकर्ता JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत खदान के पहुँच मार्ग चौड़ीकरण एवं विद्युत लाईन विस्तार (भूमिगत) निर्माण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के दुर्गूकोंदल परिक्षेत्र के ग्राम हाहलद्दी के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.40 हे.) का व्यपवर्तन प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :–

बिन्दु क्र. 1 **आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 08 तक)**– JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के आरक्षित वन के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत् व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

बिन्दु क्र. 2 **प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 09)**– JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) के प्रकरण रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/TRANS/148650/2021. आबंटित होने का उल्लेख किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु कोषालय के चालान दिनांक 22.07.2021 के आधार की जाती है। पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल राशि 35,000/– एक मुश्त जमा की गई है।

बिन्दु क्र. 3 **वन क्षेत्र विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 10)**– परियोजना हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के लौह अयस्क परिवहन एवं विद्युत लाईन लाईन विस्तार हेतु आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बिन्दु क्र. 4 **गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 11)**– प्रस्तावित परियोजना में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

बिन्दु क्र. 5 **प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 13 तक)** व्यपवर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बिन्दु क्र. 6 **वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 14 से 15 तक)**–प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) का इन्डेक्स मैप संलग्न है।

बिन्दु क्र. 7 **प्रपत्र–IV में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 19 तक)**–प्रपत्र–IV में पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल में लौह अयस्क एवं विद्युत लाईन विस्तार निर्माण कार्य हेतु कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 400 लाख रू. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.5 से 0.6 तक है।

बिन्दु क्र. 8 **प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 20 से 21 तक)** – JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) का भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय नई दिल्ली द्वारा संस्थान के पक्ष में हाहालद्दी (परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल) के वन भूमि रकबा 79.56 हे. लौह अयस्क खनिज के खनन हेतु खनिपट्टा स्वीकृति किया गया है। संस्थान द्वारा स्टेट हाईवे से खदान में जाने हेतु पहुंच मार्ग/विद्युत लाईन विस्तार का निर्माण कार्य किया जाना है।

बिन्दु क्र. 9 **वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 22 से 23)**– JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल द्वारा प्रत्यावर्तन एवं आबंटित वन भूमि के एवज में शासन द्वारा समय – समय पर तय की गई दर के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध रहेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्र. 10 **न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण – पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 24)**– JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत हाहालद्दी में लौह अयस्क परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

बिन्दु क्र. 11 **पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण – पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 25)**– आवेदक संस्थान के कथन अनुसार प्रस्तावित परियोजना लीनियर होने के कारण पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 12 **वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 26 से 30 तक)**–आवेदित क्षेत्र में 403 वृक्ष खड़े है जिसका विदोहन किया जाना है।

बिन्दु क्र. 13 **कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 31)**– परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्कता नहीं है।

बिन्दु क्र. 14 **चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा का नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 32)** – प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 15 **गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 33)** – प्रस्ताव में कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु चयन किया गया है। अतः गैर वन क्षेत्र का मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 16 **स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 62 तक)** – आवेदित वन भूमि 1.396 हे. (1.400 हे.) के एवज में पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के ग्राम राऊरवाही राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 66 के कुल रकबा 14.780 हे. में से 1.400 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्र. 17 **वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण – पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 63 से 64 तक)**– परिक्षेत्र अधिकारी दुर्गूकोन्दल/उप वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर के प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु दुर्गूकोन्दल परिक्षेत्र के ग्राम राऊरवाही राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 66 के कुल रकबा 14.780 हे. में से 1.400 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य हेतु चयनित किया गया है। उक्त स्थल में निरीक्षण अनुसार 400 पौधा प्रति हेक्टेयर रोपित किया जा सकता है, निरीक्षण अनुसार उपयुक्तता प्रमाण – पत्र संलग्न है। शेष 1000 पौधा रोपण हेतु परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के संरक्षित वन 920 ग्राम घमरे में कुल रकबा 190.00 हे. में से रिक्त क्षेत्र में रोपण करने हेतु चयन किया गया है।

बिन्दु क्र. 18 **अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 65)** – प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बिन्दु क्र. 19 **अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 66)** – प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम/कार्यो का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बिन्दु क्र. 20 **अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 67)** –प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बिन्दु क्र. 21 **वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण – पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 68)**– JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा लौह अयस्क के परिवहन हेतु वैकल्पिक पहुंचमार्ग हेतु प्रस्तावित वन कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के विरूद्ध के परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के ग्राम राऊरवाही राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 66 के कुल रकबा 14.780 हे. में से 1.400 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है। अतः मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 22 **कैचमेंट ट्रीटमेन्ट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 69)** – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्र. 23 **रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 70)** – प्रस्ताव खनन से संबंधिन नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 24 **माईनिंग प्लान प्ठड नागपुर द्वारा अनुमादित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 71)** – प्रस्ताव खान के संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लॉन की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 25 **व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 72)** – प्रस्तावित परियोजना हेतु व्यवस्थापन प्लॉन की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 26 **वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 73 से 84 तक)**– प्रपत्र– 3 के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं भाग–II में वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल द्वारा दिनांक 20.07.2022 को प्रस्ताव में स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

बिन्दु क्र. 27 **ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 85)** – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं है।

बिन्दु क्र. 28 **संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 86 से 90 तक)**– JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के ग्राम हाहालद्दी में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक पहुंचमार्ग निर्माण एवं भूमिगत विद्युत लाईन विस्तार कार्य हेतु कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्र. 29 **जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 91)** – कांकेर जिले की कुल वन भूमि 263235.953 हे. है।

बिन्दु क्र. 30 **व.स.अ. – 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 92)** – पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत इस श्रेणी के 13 प्रकरण रकबा 1378.64 हे. स्वीकृति की गई है।

बिन्दु क्र. 31 **व.स.अ. – 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 93)**– पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत इस श्रेणी के रकबा 56.774 हे. क्षेत्र में वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही की गई है।

बिन्दु क्र. 32 **प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 94)** –प्रस्तावित परियोजना हेतु 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर स्थित नहीं है न ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है किन्तु बंजारी माता का मंदिर स्थित है।

बिन्दु क्र. 33 **15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में) (प्रस्ताव पृष्ठ 95)** – खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 34 **वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 96 से 104 तक)** – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा वन अधिकार वितरण संबंधी प्रमाण पत्र21.06.2022 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्र. 35 **राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण–पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 105)** – प्रस्ताव में राजस्व वनभूमि प्रभावित नहीं होने से राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 36 **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 106)** – माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया, वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्र. 37 Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remitances to precede 2nd Stage clearance. **(प्रस्ताव पृष्ठ 107)** – प्रभावित भूमि के बदले आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि को कैम्पा खाते में जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्र. 38 "A detailed note on Soil Productivity or the lack of it". **(प्रस्ताव पृष्ठ 108)**– आवेदित क्षेत्रआरक्षित वन कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. क्षेत्र में प्राकृतिक पुनर्रोत्पादन स्थिति सामान्य है, क्षेत्र समतल एवं पथरीली होने के कारण जैविक दबाव लगभग शून्य है।

बिन्दु क्र. 39 **परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण–पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 109)**– वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्र. 40 Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980. **(प्रस्ताव पृष्ठ 110)** – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 41 **पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 111 से 112)**– चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक – 2 पर विवरण दिया गया है।

बिन्दु क्र. 42 **वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 113)**– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्र. 43 **विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 114)** – भूमिगत विद्युत लाईन विस्तार होने के कारण लागू नहीं।

बिन्दु क्र. 44 **प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 115 से 116 तक)** – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–

1. प्रस्ताव 02 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. वन बल प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–308/644 रायपुर, दिनांक 04/02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी,** पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल, भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़।
3. **Director,** JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.), Village- Kurud, Chandkhuri Marg, Mandir Hasaud Raipur (C.G.) 492101

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़